

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक ०३ अप्रैल 2018

विषय:-


जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं0-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी0 से 349 किमी0 (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के0वी0 विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हेठो संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2739/11सी एफ/यूपी/ट्रांस/29629/2017, दिनांक-23-3-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ द्वारा जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं0-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी0 से 349 किमी0 (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के0वी0 विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हेठो संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2— अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी-78(1)/14-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र०, लखनऊ।
- 2— वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त बांदा।
- 3— जिलाधिकारी चित्रकूट।
- 4— प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट।
- 5— अधिकारी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण चित्रकूट।
- 6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव